

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 547]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 31, 2013/कार्तिक 9, 1935

No. 547]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 31, 2013/KARTIKA 9, 1935

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्तूबर, 2013

- सा. का. नि. 715 (अ).—राष्ट्रपित, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण (कलेक्शन टेंडर समूह 'घ') भर्ती नियम 1990 को, जहाँ तक उनका संबंध कलेक्शन टेंडर के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण में क्षेत्र सहायक के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—
- 1 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, क्षेत्र सहायक समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2013 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- 2 पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान : उक्त पद संख्या, उसका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3 भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तंभ 13 में विनिर्दिष्ट हैं ।
- 4 निरर्हता : वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है,

4606 GI/2013

या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5 शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6 व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंघ करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का	पद	वर्गीकरण	वेतन बैंड और	चयन	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा
नाम	संख्या		ग्रेड वेतन या	अथवा	
			वेतनमान	अचयन	
				पद	
1	2	3	4	5	6
क्षेत्र	47*	साधारण	वेतन बैड 1	अचयन	27 वर्ष से अधिक नही (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी
सहायक	(2013)	केन्द्रीय	5200—20200रू +		किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए
	*कार्यभार	सेवा, समूह	ग्रेड वेतन		साधारण अभ्यार्थियों की दशा में 40 वर्ष तक और अनुसूचित जाति या
	के	"ग",	1900ক.		अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल
	आधार	अराजपत्रित,			की जा सकती है)
	पर	अनुसचिवीय			टिप्पणः आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह
	परिवर्तन				होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथा नियत होगी।
	किया जा				
	सकता				
	है'।				

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षित अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।
7	8	9
आवश्यक :	आयु : नहीं	केवल सीधे भर्ती हुए व्यक्ति के लिए
(1) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान	शैक्षिक अर्हताः नहीं, परंतु	दो वर्ष।
विषय के साथ बारहवीं कक्षा पास	आठवीं कक्षा पास हो ।	
(2) अधिकारियों और कर्मचारिबृन्द के साथ क्षेत्र कार्य कर्तव्यों का		
भार अपने ऊपर लेने में समर्थ हो।		
वाक्षनीय :		
(1) हिन्दी लिखने और पढने में समर्थ हो		
(2) केन्दीय सरकार या राज्य सरकार के विभाग या संगठन या		
संस्थान या स्वायत्त निकाय से प्राणि के नमूनों के संग्रह की		
पद्धति का अनुभव हो।		
टिप्पण – अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन		
कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग		
विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।		

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति / प्रतिनियुक्त / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा
	11
10 प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी	11 ऐसे क्षेत्र सहायक (जिसमें बहुकार्य कर्मचारिबृन्द भी हैं) जिनकी वेतन बैंड–1,
प्रान्तात द्वारा जिसक न हा सकन पर सावा भर्ती द्वारा।	५२००—२०२००रु. + ग्रेड वेतन १८००रु. में तीन वर्ष की नियमित सेवा है।
भवा हारा।	5200—20200रु. + ग्रंड पतन १८००रु. न तान पप का नियानत सपा है।
	टिप्पण 1: जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक / पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबिक उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक / पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक / पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक / पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।
	टिप्पण 2: प्रोन्नित के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को सिवाय उस दशा के जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सिहत एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा, जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
12.	पश्चरा किया जाएगा।
स्मूह 'ग' विभागीय प्रोन्नित समिति (प्रोन्नित के संबंध में विचार करने के लिए) निम्निलिखत से मिलकर बनेगी :	लागू नहीं होता ।
(1) निदेशक, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण – अध्यक्ष	
(2) कार्यालय का प्रधान, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण,-सदस्य	
(3) कार्यालय का प्रधान, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण —सदस्य	

(फा. सं. 02–01 / 2012–सी.एस.जेंड.)

जेरोम मिंज, उप सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st October, 2013

G.S.R. 715 (E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Zoological Survey of India (Collection Tender-Group 'D') Recruitment Rules, 1990, in so far as they relate to the post of Collection Tender, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Field Assistant in the Ministry of Environment and Forests, Zoological Survey of India, namely:—

- 1. **Short title and commencement.** (1) These rules may be called the Ministry of Environment and Forests, Zoological Survey of India, Field Assistant, Group 'C' Post Recruitment Rules, 2012.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.— The number of said post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.
- 3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.–** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.
- 4. Disqualification. No person,
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. **Power to relax.** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. **Saving.** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post
1	2	3	4	5
Field Assistant	47* (2012) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group-C, Non-Gazetted, Non- Ministerial.	Pay band-1, Rs. 5200- 20200 plus grade pay of Rs. 1900	Non selection

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees		Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
Not exceeding 27 years (Relaxable for Government servants up to 40 years in the case of general candidates and up to 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time) Note: The crucial date for determining the age limit shall be as fixed by the Staff Selection Commission	Essential: (i) 12 th class pass with Biology from a recognised Board or University. (ii) Ability to undertake field duties with officers and staff. Desirable: (i) Ability to read and write in Hindi. (ii) Experience in method of collection of Zoological specimens from a Central Government or State Government Department or Organisation or Institute or Autonomous Body. Note: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of the candidates otherwise well qualified	Age: No Educational Qualification: No, but must be eighth standard pass	Two years for direct recruits only	

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
11	12	13
Filed Attendant (with multi-tasking) with three years' regular service in pay band-1 Rs. 5200-20200 plus grade pay Rs. 1800. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:— 1. Director,	Not applicable.

revised scale of pay into one grade with a common
grade pay or pay scale and where this benefit will
extend only for the post(s) for which that grade pay
or pay scale is the normal replacement grade without
any up-gradation.

[F. No. 02-01/2012-csz]

JEROME MINZ, Dy. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर 2013

सा.का.नि. 716 (अ).—-राष्ट्रपित, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (केन्द्रीय सेवा वर्ग—3 पद) भर्ती नियम, 1963 को, जहाँ तक उनका संबंध भंडार सहायक पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिकमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण में भंडार सहायक के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, भंडार सहायक, समूह "ग" पद, भर्ती नियम, 2013 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान : उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, और अर्हताएं आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. निरर्हता : वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है,

या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु—सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भृतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।